# भाग–V

## अध्याय – 20

## राज्य वित्त आयोग : सामान्य मुद्दे

**20.1** राज्य वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 "झ" सहपठित राज्य वित्त आयोग अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत किया गया है। छत्तीसगढ़ का एक पृथक राज्य के रूप में गठन होने के बाद वर्ष 2003 में छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग अधिनियम, 1994 में संशोधन करके इसे बहु स्तरीय आयोग से दो सदस्यीय आयोग बनाया गया। तद्नुसार इसमें अध्यक्ष एवं एक सदस्य होते हैं। राज्य के प्रथम तथा द्वितीय आयोग का गठन संशोधित अधिनियम के अनुसार किया गया। केवल दो सदस्य होने के कारण आयोग को कार्य भार तथा विशेषज्ञता की दृष्टि से अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। बारहवें और तेरहवें दोनों ही केन्द्रीय वित्त आयोगों ने राज्य वित्त आयोगों को मजबूत बनाये जाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। बारहवें वित्त आयोग ने स्पष्ट रूप से कहा है – राज्य वित्त आयोग में अर्थशास्त्र, लोक वित्त, लोक प्रशासन तथा विधि जैसी विधाओं के विशेषज्ञों का समावेश किया जाना आवश्यक है। चूंकि इस आयोग का काम ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की समस्याओं को ध्यान में रखना है, अतएव पंचायती राज संस्थाओं के मामलों के एक विशेषज्ञ तथा इसी प्रकार नगर पालिका मामलों के एक विशेषज्ञ को राज्य वित्त आयोग में सदस्य के रूप में पदस्थ किया जाना चाहिये। एक सेवारत अधिकारी को सचिव बनाने को छोड़कर अध्यक्ष सहित इसकी सदस्य संख्या पांच से अधिक नहीं होनी चाहिए। चूंकि राज्य वित्त आयोग एक अस्थायी निकाय है और उसे एक निश्चित निर्धारित अवधि में अपना काम पूरा करना होता है, अतः अध्यक्ष सहित इसके सभी सदस्य पूर्ण कालिक होने चाहिये (12वें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, कंडिका 8.34)। तेरहवें वित्त आयोग ने इस अनुशंसाओं का समर्थन करते हुए सुझाव दिया है कि राज्य सरकारों को राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की आवश्यक योग्यताओं के संबंध में कानून बनाना चाहिये। (तेरहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन, कंडिका 10.128)। इस आयोग ने राज्य

वित्त आयोग के गठन को सुदृढ़ किये जाने की आवश्यकता को महसूस किया है। **अतः हम यह अनुशंसा करते हैं कि राज्य वित्त आयोग को बहु सदस्यीय रूप देने के लिये राज्य वित्त आयोग अधिनियम में आवश्यक संशोधन किया जावे तथा इसमें अर्थशास्त्र, लोक वित्त, विधि, लोक प्रशासन आदि जैसी विधाओं के विशेषज्ञ सदस्य लिये जायें।**

**20.2** दूसरी समस्या राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर कार्यवाही किये जाने में विलम्ब है। बारहवें वित्त आयोग ने यह महसूस किया था कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसाओं को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये जाने की राष्ट्र स्तरीय परम्परा का राज्यों में अनुसरण नहीं किया जाता है। अतः उसने सुझाव दिया है कि इस स्थिति को बदला जाये। इसी तरह तेरहवें वित्त आयोग ने सुझाव दिया है कि राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि राज्य वित्त आयोग की अनुशंसायें बिना किसी विलम्ब के कार्यान्वित की जाये तथा कृत कार्यवाही प्रतिवेदन विधान सभा के समक्ष तत्परतापूर्वक प्रस्तुत किया जाये। (कंडिका 10.129) **अतः केन्द्र के समान राज्य में भी वित्त आयोग की अनुशंसाओं को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये जाने तथा उन पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही किये जाने की परम्परा विकसित किये जाने की आवश्यकता है।**

**20.3** द्वितीय वित्त आयोग का गठन उस समय किया गया जब प्रथम आयोग की अधिनिर्णय अवधि बिल्कुल समाप्त होने वाली थी। आयोग को अपना काम पूरा करने में लगभग 18 माह का समय लगा है। अतः इसके गठन में विलम्ब होने के कारण अधिनिर्णय अवधि स्थगित करनी पड़ी है जो संविधान में किये गये 74वें संशोधन की भावनाओं के प्रतिकूल है। **अतः आयोग का सुझाव है कि अगली अधिनिर्णय अवधि प्रारम्भ होने के पर्याप्त समय रहते ही राज्य वित्त आयोग का गठन कर लिया जाये। गठन होने के तत्काल बाद इसे सभी आवश्यक अधोसंरचना और अन्य सुविधायें उपलब्ध करा दी जायें। राज्य वित्त आयोग का गठन केन्द्रीय वित्त आयोग के साथ तालमेल करते हुए इस तरह किया जाये कि केन्द्रीय आयोग को राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन पर विचार करने के लिये पर्याप्त समय मिले। इससे स्थानीय निकायों को कोष के अन्तरण के विषय में अनुशंसा करने में उसे सुविधा होगी।**

**बारहवें और तेरहवें दोनों ही वित्त आयोगों ने इस बात की आवश्यकता महसूस की है।**

**20.4** इस प्रतिवेदन की कंडिका 3.21 में हमने राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित देयताओं को बजट में प्रस्तुत किये जाने के तरीके पर टिप्पणी की है। इस समय पंचायती राज संस्थाओं और नगरीय स्थानीय निकायों के अनुदान विषयक प्रावधानों तथा राज्य वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित एवं राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत अन्तरणों को आपस में इतना मिला जुला कर बजट् में प्रस्तुत किया जाता है कि उन्हें अलग–अलग समझ पाना कठिन है। इससे इनके सम्बन्ध में अस्पष्टता बढ़ती है जबकि राज्य की वित्त व्यवस्था पर वित्त आयोग की अनुशंसाओं के प्रभाव का मूल्यांकन के लिये इनके बारे में स्पष्टता अत्यंत आवश्यक है। केन्द्रीय वित्त आयोग के समक्ष प्रस्तुत किये जाने के लिये भी यह स्पष्टता आवश्यक है। **अतः हमने यह अनुशंसा की है कि राज्य वित्त आयोग के अन्तरण को वित्त सचिव के स्मृतिपत्र में अलग से दिखाया जाये, जो बजट के साथ प्रतिवर्ष प्रकाशित किया जाता है।** भारत सरकार द्वारा 14वें वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। अतः हमारी सलाह है कि राज्य सरकार द्वारा इस आयोग की अनुशंसाओं पर तत्परतापूर्वक कार्यवाही की जाये तथा स्थानीय निकायों को कोष का हस्तांतरण बजट में अलग से दिखाया जाये।

**20.5** राज्य स्तर पर समुचित एवं प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के अभाव में राज्य वित्त आयोग को अध्ययन एवं विश्लेषण के लिये आवश्यक आंकड़े और जानकारियां प्राप्त करने में बहुत कठिनाई हुई। **अतः यह आवश्यक है कि वित्त विभाग में स्थायी रूप से राज्य वित्त आयोग प्रकोष्ठ की स्थापना की जाये। यह प्रकोष्ठ आयोग की अनुशंसाओं पर अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित करने के साथ ही राज्य स्तर पर इनकी प्रगति पर नजर रखेगा तथा इसके क्रियान्वयन में आने वाली समस्याओं को निराकरण के लिये मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगा। इसी प्रकार के प्रकोष्ठ नगरीय प्रशासन विभाग तथा पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग में भी गठित किये जायें तथा वित्त विभाग के प्रकोष्ठ के साथ इनका घनिष्ठ सम्बन्ध रहे। इससे न सिर्फ वित्त**

आयोग की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन में अपितु भावी वित्त आयोगों के लिये आवश्यक डाटा बैंक विकसित किये जाने में भी सहायता मिलेगी।

(डॉ. अशोक कुमार पारख)
सदस्य

(अजय चन्द्राकर)
अध्यक्ष